

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री मेघना चौधरी, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—208 / 2016 / 223 (2016 / 00208)

1. दीपक कुमार पुत्र स्व० रामकुमार, जाति सुनार,
2. अशोक कुमार पुत्र स्व० रामकुमार, जाति सुनार,
3. पवन कुमार पुत्र स्व० रामकुमार जाति सुनार,
4. श्रीमती सुनीता पुत्री स्व० रामकुमार, जाति सुनार,
5. श्रीमती लीला देवी पत्नि स्व० रामकुमार, जाति सुनार,
सर्व निवासीगण घीसालाल गुर्जर के मकान के सामने, गणेश जी के मंदिर के सामने वाली गली में, शिवाजी नगर, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व० बालमुकन्द, जाति सुनार, निवासी मकान नं० 25, श्यामनगर, गली नं० 1, काली मंदिर के पीछे फायसागर रोड, अजमेर ।
2. कैलाशचन्द पुत्र स्व० बालमुकन्द, जाति सुनार, नि दीपक किराणा स्टोर के पास, विराट नगर, पुलिया के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ अजेर । (नाम तर्क)
3. श्रीमती मोहनी पत्नी स्व० बालमुकन्द, जाति सुनार, नि० दीपक किराणा स्टोर के पास, विराट नगर, पुलिया के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर । (फौत) जरिये वारिसान:—
3/1— कंचन देवी पुत्री बालमुकन्द पत्नी सत्यनाराण, जाति सोनी, नि० पट्टकटला, आगरा गेट, अजमेर ।
3/2— पारसदेवी पुत्री बालुमुन्द पत्नि रामजस सोनी, जाति सोनी, नि० ग्राम कादेड़ा, वाया केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 3.12.2014 अंतर्गत वाद संख्या 232 / 2011.

उपस्थित:—

1. श्री महेन्द्रसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 .
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 3/2.
4. रेस्पोंडेंट संख्या 2 का नाम तर्क एवं रेस्पोंडेंट सं० 3/1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:— 10.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.12.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पोंडेंटस द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत अपीलांटस/प्रवितादीगण के विरुद्ध अधी०न्याया० में इस

आशय का पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 62 खसरा नंबर 10 रकबा 10 बीघा भूमि वाके ग्राम फलौदा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर में स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा है । वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य कृषि भूमि का मय नींव, सींव, अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि का नाप चौप कर बंटवारा किया हुआ नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में वाद अधीन भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इस कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा की डिक्री पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 3.12.2014 द्वारा वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार, किशनगढ़ को कमीश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.12.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को दिनांक 3.12.2014 को विधिविरुद्ध तरीके से निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसकी अपीलांटस को कतई जानकारी नहीं थी । अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.12.2014 की पालना में दिनांक 29.12.2015 को वादग्रस्त आराजियात बाबत् अंतिम डिक्री पारित कर दी गई और वादग्रस्त आराजियात का नक्शे में तनमीम कर बंटवारा कर दिया तब वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटस को ऐलानियां धमकी दी कि मैंने आपकी कब्जेशुदा आराजियात का बंटवारा करवा लिया है तथा तुम्हारी संपूर्ण आराजियात में से 1/4 हिस्से का अधिकार कागजों में दिलवा दिया है तथा उक्त आराजियात को मैं बेचान कर कब्जा तुड़वा लूंगा । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा धमकी दिये जान पर अपीलांटस ने अपने अधिवक्ता श्री अजयसिंह चौहान से संपर्क किया तब अधिवक्ता ने उक्त आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर आवश्यक नकले निकलवाई और अपीलांटस से कहा कि उक्त निर्णय व डिक्री की अपील अजमेर में होगी । तत्पश्चात् अपीलांटस ने रूपये-पैसों का इंतजाम कर अजमेर में अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक नहीं हैं । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटस को किस दिनांक को तथा किसके सामने धमकी दी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है । अपीलांटस के अधिवक्ता निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने की दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि अपीलांटस को निर्णय व डिक्री दिनांक 3.12.2014 की जानकारी तत्समय नहीं थी, किया गया कथन असत्य एवं झूठा है । अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जाती है । अपने प्रकरण की जानकारी रखने का दायित्व स्वयं पक्षकार का है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक नहीं हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया

- जाकर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1999 पेज 389, डी0एन0जे0 2016 पार्ट-1 राज0 पेज 201, आर0आर0टी0 2011 पेज 614, आर0आर0डी0 1999 पेज 152, 362, आर0आर0डी0 2008 पेज 716, आर0आर0डी0 1992 पेज 364, आर0आर0डी0 1995 पेज 456 एवं आर0बी0जे0 2010 पेज 289 हाई कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 3.12.2014 को वाद में निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.12.2014 के विरुद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 10.6.2016 को पेश की गई है जो निश्चित रूप से लगभग 17 माह के विलंब से पेश की गई है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी का स्रोत रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में अंतिम डिक्री पारित किये जाने के उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा धमकी दिये जाने पर होना बताया है किन्तु अपीलांटस को रेस्पो0 संख्या 1 ने किस दिनांक को तथा किसके सामने धमकी दी इस संबंध में अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 3.12.2014 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने की दिनांक 3.12.2014 को अपीलांटस के अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित थे । इसलिये अपीलांटस का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी नहीं थी । अधिवक्ता की जानकारी पक्षकार की जानकारी मानी जाती है । अपने प्रकरण की जानकारी रखने का दायित्व स्वयं पक्षकार का है जिसके लिए वह किसी अन्य को दोष नहीं दे सकता है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते हैं । हम विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 614 में प्रतिपादित इस सिद्धांत से सहमत हैं कि विलंब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण बताना आवश्यक है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा विलंब के समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं करने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त किया जाता है ।
7. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निरस्त होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दू पर निरस्त की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.12.2014 को यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर